ABHISHEK SHARMA
Digitally signed by ABHISHEK SHARMA
Date: 2024.11.28 17:27:09 +0530

प्रतिलिपि– आदेश पत्र दिनांक 28.11.2024 का जो कि अपर सत्र न्यायाधीश घरघोड़ा, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा आरक्षी केन्द्र–तमनार के अपराध क्रमांक 187/2024, **अग्रिम जमानत आवेदन पत्र क्र. 280/2024 पक्षकार अजय पाण्डया व 1 अन्य विरूद्ध छ.ग. राज्य** में पारित कर अभिलिखित किया गया है, जिसके पक्षकार निम्नलिखित हैः–

1– अजय पाण्डया पिता गनपत भाई पाण्डया,
उम्र–32 वर्ष, निवासी–क्वा. नं. 215,
स्पीन पीकर्स की चाली बिहाईंड तपोवन
सोसायटी अनेस्टार रोड़ सरसपुर
थाना–साहेरकोटडा, जिला–अहमादाबाद (गुजरात)

2– अंकित बाला पिता गिरश भाई बाला,
उम्र–33 वर्ष, निवासी–क्वा.नं. 202,
सत्कार अपार्टमेंट बोडकदेव, थाना–वस्त्रापुर,
जिला–अहमादाबाद (गुजरात)
मूल निवास– गोडल, थाना–गोडल,
जिला–राजकोट (गुजरात)

...........आवेदकगण/अभियुक्तगण

//विरूद्ध//

छत्तीसगढ़ राज्य,
द्वारा–आरक्षी केन्द्र–तमनार,
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

...........अभियोजन/अनावेदक

28.11.2024 आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से अधिवक्ता श्री प्रवीण कुमार त्रिपाठी उपस्थित।

राज्य द्वारा श्री राजेश सिंह ठाकुर अतिरिक्त लोक अभियोजक उपस्थित ।

प्रकरण आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पर विचार एवं केस डायरी की प्रतीक्षा हेतु नियत है ।

आरक्षी केन्द्र–तमनार के अपराध क्रमांक 187/2024 अंतर्गत धारा 318(4), 3(5) भारतीय न्याय संहिता की केस डायरी मय विरोध प्रतिवेदन के प्राप्त।

इसी समय आवेदकगण/अभियुक्तगण के अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन पर बल नहीं देना व्यक्त करते हुये तदाशय की टीप आदेश पत्र की हसिये पर लेख कर हस्ताक्षर किया ।

आवेदकगण/अभियुक्तगण के अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पर बल नहीं दिये जाने के कारण उक्त आवेदन गुणदोष के आधार पर निरस्त किया जाता है ।

आदेश की प्रति सहित केस डायरी वापस किया जावे एवं आदेश की एक प्रति संबंधित क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय को प्रेषित किया जावे।

जमानत प्रकरण समाप्त, प्रकरण का परिणाम दर्ज का विधिवत व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जावे।

सही/–
(अभिषेक शर्मा)
अपर सत्र न्यायाधीश
घरघोड़ा, जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

//प्रमाण पत्र//
मैं पुष्टि करता हूं कि इस पी.डी.एफ. फाईल की अंर्तवस्तु अक्षरशः वैसी ही है जो मूल आदेश पत्र में टंकित की गयी है।
आदेशिका लेखक– गुलाब सिंह राठिया